कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

—:आदेश:—

प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा—2012 अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा किरण वर्मा रोल नं0 504201, चयन वर्ग BC,WE,DV, मेरिट नम्बर 2012 पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु अभिस्तावना इस कार्यालय को भिजवाई गई थी। इस कार्यालय के आदेश कमांकः— शिविरा / मा / संस्था / बी—1 / 45001 / पीएससी / 2013 दिनांक 09.07.2014 द्वारा किरण वर्मा(जन्मतिथि 25.08.1973) चयन वर्ग BC,WE,DV, मेरिट नम्बर 2012 अध्यापिका राबाउप्रावि, रोटेदा—बूँदी का पदस्थापन प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बुद्धनगर—मण्डोर जोधपुर में की गई थी। उक्त पद पर निरन्तर कार्य करते हुए इनका चयन प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद पर डीपीसी वर्ष 2018—19 के अन्तर्गत किया जाकर इस कार्यालय के आदेश दिनांक 31.05.2018 द्वारा इनका पदस्थापन प्रधानाचार्य, राउमावि, मोगडा कलां, जोधपुर (वर्तमान राउमावि,रोहिना—बाप, जोधपुर)के पद पर किया गया था। जिसकी अनुपालना में इनके द्वारा दिनांक 02.06.2018 को कार्यग्रहण भी कर लिया गया था।

किरण वर्मा जिनका चयन प्रधानाध्यापक—मावि भर्ती परीक्षा—2012 के अन्तर्गत पिछडा वर्ग परित्यक्ता कोटे के अन्तर्गत चयन किया गया एवं इसी अनुरूप इनका पदस्थापन आदेश विभाग द्वारा जारी किया गया था। इनके सम्बन्ध में विभाग को शिकायत प्राप्त हुई कि किरणवर्मा द्वारा द्वितीय शादी दिनांक 23.02.2012 को कर ली गई है एवं नगर निगम जोधपुर द्वारा रजिस्ट्रेशन नं0 412001328 रजिस्ट्रेशन दिनांक 10.04.2012 से दिनांक 23.02.2012 को शादी किये जाने का विवाह—प्रमाण पत्र जारी किया गया है। फिर भी किरण वर्मा दिनांक 23.02.2012 को हुई शादी के तथ्य को छुपाते हुए प्रधानाध्यापक—मावि में चयनित हुई एवं इसी आधार पर नियुक्ति भी प्राप्त की है एवं निरन्तर परित्यक्ता होने का उल्लेख करते हुए प्रधानाचार्य पदोन्नति काउंसिलिंग तक में लाभ प्राप्त किया गया हैं।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा जांच कार्यवाही करवाई गई। वरवक्त जांच किरण वर्मा ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि इनकी शादी दिनांक 23.02.2012 को श्री ऋषि कुमार सोनी से हुई थी। इस सम्बन्ध में नगर निगम जोधपुर द्वारा विवाह प्रमाण पत्र भी दिनांक 10.04.2012 को जारी किया है। प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक (माध्यमिक) की भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुरूप ही तथा नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया गया था इनके द्वारा आवेदन में कोई गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं किया न ही किसी तथ्य को छुपाया गया हैं। लेकिन जांच अधिकारी ने समस्त तथ्यों की जांच के उपरान्त पाया कि श्रीमती किरण वर्मा प्रधानाचार्य द्वारा परित्यक्ता कोटे से चयनित होने के पश्चात् नियुक्ति से पूर्व पुनर्विवाह करने तथा उसकी सूचना विभाग तथा आरपीएससी को नहीं देकर गलत तरीके से तथ्यों को छुपाकर राजकीय परिलाभ प्राप्त करने की दोषी है।

इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा / माध्य / संस्था / ए—4 / किरण वर्मा / 2016 / 65 दिनांक 22.08.2019 द्वारा उपरोक्त समस्त तथ्यों सहित सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को किरण वर्मा के प्रधानाध्यापक(मा0वि0) भर्ती परीक्षा 2012 में परित्यक्ता कोटे से चयन की पात्रता का नियमानुसार परीक्षण करते हुए चयन के सम्बन्ध निर्णय चाहा गया। इस सम्बन्ध में सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने पत्रांक एफ.7(28) परीक्षा— क' / प्रधानाध्यापक(मावि) / 2017—18 / 906 दिनांक 04.12.2019 अवगत कराया है कि प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा—2012 में अभ्यर्थिया किरण वर्मा रोल नं0 504201 चयन वर्ग BC,WE,DV, मेरिट नम्बर 2012 का प्रकरण आयोग द्वारा परीक्षण कराया गया। परीक्षण में पाया गया कि आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक—मावि के पद हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन सं0—1 / 11—12 दिनांक 28.04.2011 जिसमें ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक 25.05.2011 थी, के तहत उक्त पद हेतु आवेदन किया गया। परन्तु उक्त विज्ञापन को प्रत्याहरित किये जाने के उपरांत आयोग द्वारा उक्त पद हेतु नया विज्ञापन दिनांक 17.02.2012 को जारी किया गया जिसमें 2093 पद विज्ञापित किये गये, साथ ही जारी नये विज्ञापन में उल्लिखित किया गया था कि जिन आवेदकों ने इन पदों हेतु पूर्व में आवेदन किया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक 10.03.2012 थी। पूर्व विज्ञापन

को प्रत्याहारित किये जाने से ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक 10.03.2012 के तहत ही पात्रता अपेक्षित थी। संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग के पत्रांक पं.17(9)शिक्षा–2/प्र.अ.भर्ती दिनांक 20.04.2015 के परिप्रेक्ष्य में विधवा महिला के समान प्रकरण विवाह विच्छिन्न को माना जाने पर नियुक्ति पूर्व पुनर्विवाहित महिला को विवाह–विछिन्न हेतु आरक्षण का लाभ उक्त भर्ती में देय नहीं है। अभ्यर्थिया किरण वर्मा ने परीक्षा परिणाम उपरांत आयोग कार्यालय में प्रस्तुत विस्तृत आवेदन पत्र के निर्धारित कॉलम में अपना वर्ग अपिजा–परित्यक्ता ही अंकित किया है तथा पुनर्विवाह किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि **अभ्यर्थिया किरण वर्मा ने उक्त परीक्षा में वर्ग BC,WE,DV के अन्तर्गत आवेदन किया था एवं आवेदन की अंतिम दिनांक 10.03.2012 से पूर्व ही दिनांक 23.02.2012 को पुनर्विवाह कर लिया था। परन्तु अभ्यर्थिया वर्मा ने आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन से लेकर पात्रता जांच एवं विभाग को नियुक्ति अनुशंषा भिजवाये जाने तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार नियुक्ति उपरांत पदस्थापन होने तक उक्त तथ्यों को छुपाया हैं।**

इस प्रकार सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपने पत्र दिनांक 04.12.2019 द्वारा अभ्यर्थिया किरण वर्मा, रोल नं0 504201 चयन वर्ग BC,WE,DV, मेरिट नंम्बर 2012 का आयोग द्वारा चयन निरस्त किया गया हैं। अतः उक्त चयन निरस्त के आधार पर विभाग द्वारा किरण वर्मा प्रधानाचार्य, वर्तमान राउमावि,रोहिना–बाप, जोधपुर के सम्बन्ध में तत्समय प्रधानाध्यापक–मावि पद हेतु जारी नियुक्ति आदेश कमांकः– शिविरा/मा/संस्था/ बी–1/45001/ पीएससी/2013 दिनांक 09.07.2014 एवं उक्त पद पर कार्यरत रहते हुए प्राप्त प्रधानाचार्य–उमावि का पदोन्नति आदेश दिनांक 31.05.2018 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर श्रीमती वर्मा को राज्य सेवा से हटाया (Removal from service) जाता है।

(हिमांशु गुप्ता) 21/01
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/ए–4/किरण वर्मा/2014/ दिनांक–23/01/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को पत्रांक एफ.7(28) परीक्षा–क'/प्रधानाध्यापक(मावि)/2017–18/906 दिनांक 04.12.2019 के कम में।
2. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
3. शासन संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर
4. विशिष्ट सहायक , शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर
5. सिलस्ट एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यालय हाजा
6. संयुक्त निदेशक–स्कूल शिक्षा, ~~उदयपुर/चूरू~~ जोधपुर
7. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक, जोधपुर को पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बाप जोधपुर को पाबन्द किया जाता है कि तत्काल उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
9. प्रधानाचार्य, वर्तमान राउमावि,रोहिना–बाप, जोधपुर
10. अनुभाग अधिकारी, गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ बी–III प्रभाग को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. अनुभाग अधिकारी, विभागीय जांच को भेजकर लेख है कि प्रकरण में उपरोक्त आदेश के कम में शीघ्र कार्यवाही करते हुए इस अनुभाग को सूचित करें।
12. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)